



राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 21, बुधवार, शाके 1933—मई 11, 2011
Vaisakha 21, Wednesday, Saka 1933—May 11, 2011

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ।
पर्यावरण विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मई 11, 2011

संख्या प. 27 (31) पर्या./78 पार्ट जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप-धारा 2 (ब) के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन या उनके प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो,
2. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग,
3. आयुक्त, परिवहन विभाग,
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
5. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-3) सचिवालय, जयपुर।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
देवन्द्र कुमार जोशी,
निदेशक एवं उप शासन सचिव।